समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : रू. 10/–

Reg. No. 756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

6 दशकों से MSME की सेवा में समर्पित

NABET Gold Category

वर्ष: 17 | अंक: 23 | भोपाल | प्रकाशन दिनांक: 10.12.2020

पाक्षिक पोस्टिंग दि. 15 एवं 30 प्रत्येक माह | पृष्ट–08 | (परिपत्र क्र. 49–52)

परिपत्र क्रमांक : 49

No. F.9/4/2020-PPD
Government of India, Ministry of Finance
Department of Expenditure, Procurement Policy Division
512, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 12th November 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Performance Security.

As per Rule 171 of General Financial Rules (GFRs) 2017, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract for an amount of five to ten percent of the value of the contract to ensure due performance of the contract. Similar provisions also exist in the Manual for Procurement of Works 2019 and Manual for Procurement of Consultancy & other Services 2017 issued by this Department.

2. The Government is in receipt of many representations that on account of slowdown in economy due to the pandemic, there is acute financial crunch among many commercial entities and contractors, which in turn is affecting timely execution of the contracts. It has also been represented that this may affect the ability of contractors to bid in tenders and hence reduce competition. Requests are being received for reduction in quantum of Security Deposits in the Government contracts.

3. In view of all above, it is decided to reduce **Performance Security from existing 5-10% to 3% of the value of the contract for all existing contracts.** However, the benefit of the reduced Performance Security will not be given in the contracts under dispute wherein arbitration/ court proceedings have been already started or are contemplated.

4. Further, all tenders/ contracts issued/ concluded ti]l 31 .12.2021 should also have the provision of reduced Performance Security.

5. In all contracts where Performance Security has been reduced to 3% in view of above stipulations, the reduced percentage of Performance Security shall continue for the entire duration of the contract and there should be no subsequent increase of Performance Security even beyond 31.12.2021.

Similarly, in all contracts entered into with the reduced percentage of Performance Security of 3%, there will be no subsequent increase in Performdnce Security even beyond 31 .12.2021.

6. Wherever, there is compelling circumstances to ask for Performance Security in excess of three percent as stipulated above, the same should be done only with the approval of the next higher authority to the authority competent to finalise the particular tender, or the Secretary of the Ministry/ Department, whichever is lower. Specific reasons justifying the exception shall be recorded.

7. These instructions will be applicable for all kinds of procurements viz. Goods, Consultancy, Works, non-consulting Services etc and are issued under Rule 6(1) of the GFRs 2017.

(Kotluru Narayana Reddy)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel.: 24621305
Email: kn.reddy@gov.in

M.P. Small Scale Industries Organization
E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (M.P.)

अध्यक्ष: **अरूण जैन** ❄ महासचिव : **विपिन कुमार जैन**

परिपत्र क्रमांक : 50

No. F.9/4/2020-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

512, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 12th November 2O2O

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Bid Security/ Earnest Money Deposit.

The Government is in receipt of many representations that on account of slowdown in economy due to the pandemic, there is acute financial crunch among many commercial entities and contractors, which in turn is affecting timely execution of the contracts. lt has also been represented that this may affect the ability of contractors to bid in tenders and hence reduce competition. Requests are being received for reduction in quantum of Security Deposits in the Government contracts.

2. As per Rule 170 of General Financial Rules (GFRs) 2017, Micro and Small Enterprises (MSEs) and the firms registered with concerned Ministries/ Departments are exempted from submission of Bid Security. Further, in lieu of Bid Security, Ministries/ Departments may ask bidders to sign "Bid Security Declaration" accepting that if they withdraw or modify their bids during period of validity etc., they will be suspended for the time specified in the tender documents. Similar provisions also exist in the Manuals for Procurement of Works 2019 and Manual for Procurement of Consultancy & other Services 2017.

3. ln this context it is noted that Bid Security (also known as Earnest Money Deposit) is still being taken from the contractors by the various Ministries/Departments, though the relaxations have already been provided in General Financial Rules (GFRs) 2017.

4. ln view of above, it is reiterated that notwithstanding anything contained in Rule 171 of GFRs 2017 or any other Rule or any provision contained in the Procurement Manuals, **no provisions regarding Bid Security should be kept in the Bid Documents in future and only provision for Bid Security Declaration should be kept in the Bid Documents.**

5. Wherever, there are compelling circumstances to ask for Bid Security, the same should be done only with the approval of the next higher authority to the authority competent to finalise the particular tender or the Secretary of the Ministry/ Department, whichever is lower.

6. The above instructions will be applicable for all the tenders issued till 31.12.2021.

7. These instructions will be applicable for all kinds of procurements viz. Goods, Consultancy, Works, non-consulting Services etc and are issued under Rule 6(1) of the GFRs 2017.

(Kotluru Narayana Reddy)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel.: 24621305
Email: kn.reddy@gov.in

परिपत्र क्रमांक : 51

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिसूचित ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017''

सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार, द्वारा पारित ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' अन्तर्गत ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल'' का गठन किया गया है एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् के कार्यकरण को सुगम बनाने के लिए एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.11.2007 अन्तर्गत ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् नियम 2017'' बनाये गये है।

इस काउन्सिल के अध्यक्ष, उद्योग आयुक्त है तथा दो शासकीय सदस्य यथा प्रतिनिधि, निदेशक, सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास संस्थान, इन्दौर, तथा प्रतिनिधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल है एवं दो अशासकीय सदस्य रखे गये है।

काउन्सिल में मध्यप्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों, द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्र/प्रदायित सेवा के उपरांत, 45 दिवस की अवधि में, भुगतान प्राप्त न होने पर, क्रेता संस्थाओं/शासकीय कार्यालयों के विरूद्ध दावा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाते है।

काउन्सिल द्वारा दावा प्रकरणों में प्रथमतः उभयपक्षों के मध्य सुलह के प्रयास किये जाते हैं, एवं सुलह असफल होने पर, उभयपक्षों की सुनवाई कर, काउन्सिल द्वारा बकाया मूलधन राशि एवं इस पर ब्याज के भुगतान हेतु आदेश पारित किये जाते है।

सुविधा परिषद् द्वारा पारित अवार्ड राशि की अदायगी न होने की स्थिति में, जिला कलेक्टर को वसूली हेतु प्रकरण सन्दर्भित किये जाते है।

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिसूचित ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद् नियम 2017'' Website: www.mpmsme.gov.in पर देखे एंव डाउनलोड किये जा सकते है। हम सदस्यों की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु काउन्सिल में आवेदन पत्र देने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र को उधृत कर रहे है।

आवेदन पत्र

प्रति,

अध्यक्ष,
सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन कॉउन्सिल,
उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश,
चौथी मंजिल, विघ्याचल भवन,
भोपाल – 462 004 (म.प्र.)

आवेदनः–	विरूद्ध	अनावेदकः–

निर्देशः–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम एस एम ई डी) की धारा 18 के अधीन

मै.....मेसर्स.....की ओर से मैं प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ। यह फर्म एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार सूक्ष्म/लघु उद्यम इकाई है। इस इकाई द्वारा मेसर्स. .....को सामग्री/सेवा का प्रदाय किया गया है, परन्तु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार फर्म को भुगतान नही हुआ है। अतएव, मैं व्यथित होकर यह निर्देश प्रस्तुत करता हूँ प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. उद्योग आधार नम्बर (दस्तावेज क्रमांक–1 पृष्ठ–)

(टीप– एमएसएमई इकाई उद्योग आधार का पंजीयन udyogaadhar .gov.in(http://udyogaadhar.gov.in)) कर सकते है।) :–

2. आवेदन पत्र दाखिल करने का दिनांकः–

(दिनांक/माह/वर्ष)

3. व्यथित एम एस ई इकाई के ब्यौरेः–

(1) प्राधिकृत प्रतिनिधि का नामः–
(प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाए)
(2) इकाई का नामः–
(3) पता (पिनकोड सहित):–
(4) राज्यः–
(5) जिलाः–
(6) मोबाईल नम्बरः–
(7) ई–मेलः–
(8) व्यथित एम एस ई – सूक्ष्म लघु का प्रकारः–

4. प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) के ब्यौरेः–

(1) प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नामः–
(2) पता (पिनकोड सहित):–
(3) राज्यः–
(4) जिलाः–
(5) मोबाईल नम्बरः–
(6) ई–मेलः–
(7) प्रत्युत्तरदाता (क्रेता) का नाम प्रवर्ग (सी पी एस यू/राज्य पी एस यू/.....)

5. दावे के संबंध में जानकारी के ब्यौरेः–

(1) क्रेता/उत्तरदाता द्वारा जारी प्रदाय आदेशों के ब्यौरे सामग्री/सेवा की उपबन्धित मात्रा, एवं मूल्य के विवरण के साथ की छाया प्रतियां संलग्न करें। (दस्तावेज क्रमांक– पृष्ठ –)

(2) प्रदाय आदेश के विरूद्ध जारी बिल्स/इन्वाइस के ब्यौरे सामग्री/सेवा का नाम, मात्रा, एवं मूल्य, छाया प्रतियां, संलग्न करें।

(3) डिलेवरी चालान के विवरण कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र/माल प्राप्ति ब्यौरे छाया प्रतियों सहित।

(4) सामग्री के विवरण/सेवा की स्वीकारोक्ति, मात्रा एवं दिनांक छाया प्रतियों सहित ब्यौरे।

(5) क्रेता एवं आपूर्ति कर्ता के मध्य प्रदाय हेतु समझौता/अनुबन्ध, छाया प्रतियों सहित निबंधन एवं शर्तों के विस्तृत ब्यौरे नियत दर प्रदाय दिनांक सहित।

(6) आपूर्ति के आदेश में दिनांक सहित देय एवं अदेय इन्वाइस के ब्यौरे।

(7) पैतालिस दिनों के पूर्ण होने का दिनांक एवं प्रदाय तथा अच्छी आपूर्ति के लिए विलंब से हुए भुगतान की गणना के लिए नियत दिन (अपाईन्टेड डे) के ब्यौरे।

(8) प्रदेय भुगतान की अदायगी हेतु प्रति उत्तरदाता से किए गये पत्र व्यवहार के ब्यौरे।

(9) प्रदाय की गई सामग्री/उपलब्ध कराई गई सेवा अथवा पक्षकारों के मध्य कोई समझदारी के विरूद्ध यदि प्रत्युत्तरदाता की गई कोई शिकायतें/आपत्तियों के प्रमाणिक ब्यौरे।

(10) यदि प्रदाय की गई सामग्री/सेवा अथवा आपसी सहमति पर प्रति उत्तरदाता से शिकायत प्राप्त हुई हो, तो उसे सुधार/प्रतिस्थापित करने के पश्चात उसे स्वीकार करने की प्रमाणिक दिनांक एवं सबूत।

(11) आपसी सहमति से प्रदाय सामग्री सेवा के सुधार पश्चात प्रत्युत्तरदाता द्वारा स्वीकृति।

6. देय मूल रकम (रू).....

7. दावा की गई ब्याज की रकम.....दिनांक से.....तक
अप्राप्त/विलंब से प्राप्त भुगतान पर दावा ब्याज की रकम का ब्याज गणना प्रपत्र निम्नानुसार है–

अनु.	प्रदाय सामग्री/ इनवॉइस/ बिल क्रमांक एवं दिनांक	कॉलम (2) में दर्शाए गए इनवॉइस/ बिलों की कुल रकम	क्रेता द्वारा माल प्राप्ति की दिनांक	प्रदाय सामग्री /सेवा के विरूद्ध भुगतान रकम का विवरण दिनांक सहित	विलंब की अवधि	बकाया अदत्त मूल रकम	उन बिलों के ब्यौरे बिल क्रमांक, दिनांक तथा जिस पर ब्याज पर दावा किया गया है रकम सहित	
							बिल क्रं. एवं दि.	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

क्रयादेश/अनुबंध/ अधिनियम अनुसार भुगतान हेतु नियत दिन/45 दिवस/ जैसा कि विदित किया जाए के पश्चात गणना हेतु नियत दिन (अपाईन्टेड–डे) दिनांक	अप्राप्त/विलंब से प्राप्त भुगतान पर नियम/करार /शर्तों की अवधि उपरांत नियत दिनांक..... से दिनांक.....की गणना की विलंबित अवधि, (दिवस में)	भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यथा अधिसूचित बैंक दर	(कॉलम (12) में यथा दर्शित) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना की दर से, मासिक अतिशेष पर चक्रवृद्धि ब्याज दिनांक.....से .....तक ब्याज की संगणना	अभ्युक्ति मासिक ब्याज गणना पत्रक संलग्न करें
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

8. दावे के समर्थन मे संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रमणिका–

अनु क्रमांक	विवरण	दस्तावेज क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक	
			....से	तक
1	उद्योग आधार			
2	प्राधिकार पत्र			
3	प्रदाय आदेश			
4	बिल्स/इन्वाईसेस			
5	डिलीवरी चालान			
6	कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र			
7	सी–फार्म			
8	आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध			
9	देय–अदेय की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट/लेजर की प्रति			
10	भुगतान अदायगी हेतु पत्राचार/लीगल नोटिस			
11	मासिक चक्रवृद्धि ब्याज गणना पत्रक			
12	सुसंगत वित्तीय वर्षों की आडिटेड–बैलेन्स शीट			
13	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत EM-Part-2			
14	आवेदन के समर्थन मे नोटराईज शपथ–पत्र			
15	जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति			
16	अन्य सुसंगत दस्तावेज –			

9. चाही गई राहत–

10. साक्षियों के नाम पते सहित–

11. कोई अन्य सुसंगत जानकारी एवं संक्षिप्त विवरण मामले का वृतात–

12. अतिरिक्त जानकारीः

(क) सुसंगत वित्तीय वर्षों हेतु आडिटेड–बैलेन्स शीट एवं लेजर–

(ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करने के ब्यौरे एवं उसके क्रमांक एवं दिनांक छायाप्रति सहित तथा डी.टी.आई.सी. द्वारा उसकी अभिस्वीकृति।

(ग) इस आशय की घोषणा कि याचिकाकर्ता द्वारा समान वाद कारण/विषय वस्तु में किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष ना तो कोई वाद/प्रकरण लंबित है और ना ही दाखिल किया गया है।

मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान में सत्य है अन्य कोई भी जानकारी भविष्य में अपेक्षित होगी तो मेरे द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपबंधित की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने समान विवाद पर किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील/अधिमान नही की है।

(घ) आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

आवेदक का पदनाम.....

उद्यम की मुहर.....

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यथित एमएसएमई के निमित्त)

अनुदेशः–

1. आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित होना चाहिए।
2. केवल ग्रीन लीगल पेपर पर टंकित आवेदन ही स्वीकार किए जाएगे।
3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त परिशिष्ट स्वप्रमाणित होने चाहिए।
4. दस्तावेजों की सूची के अनुक्रम मे संलग्नकों के पृष्ठ क्रमांक आवेदन के साथ संलग्न किए जाएगे।
5. आवेदन की एक प्रति मूल प्रति के साथ प्रत्युत्तरदाताओं की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
6. आवेदन की साफ्ट कॉपी संलग्न करना अपेक्षित है।
7. जीएसटी नम्बर प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
8. अपूर्ण आवेदन स्वीकार नही किए जाएगे।

विनम्र निवेदन

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन की सदस्यता शुल्क की बकाया राशि का देयक (Bill) आपको जुलाई 2020 में ई–मेल/वाट्सअप द्वारा भेजा जा चुका है। तत्पश्चात स्मरण भी कराया गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, आपकी ओर देय सदस्यता शुल्क की राशि शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। जिन सदस्यों ने सदस्यता शुल्क की राशि जमा करा दी है, कृपया इस निवेदन को नजरोअंदाज करने की कृपा करें।

चेक ''म.प्र. स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन'' के नाम भोपाल में देय होगा। आर्गेनाइजेशन का बैंक विवरण निम्नानुसार है। आप बैंक खातें में भी राशि सीधे जमा करा सकते है। तत्संबंधी सूचना हमें अवश्य देने का कष्ट करें, जिससे आवश्यक पावती रसीद आपको प्रेषित की जा सकें।

Our Bank Details:

a. Name of A/c : MP Small Scale Industries Organization
b. Bank Name: Union Bank of India, Arera Colony Branch, Bhopal.
c. IFS Code: UBIN0545171
d. A/c No. : 451702010003610

उद्यम प्रेरणा में विज्ञापन की दरें

विज्ञापन मे उद्योगों से संबंधित प्लाट एवं मशीनरी की खरीदी बिक्री, औद्योगिक इकाई के बेचने एवं खरीदने संबंधी, उत्पाद/सेवाओं के प्रचार प्रसार, कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रदायकर्ता की तलाश, निविदाएं, श्रम शक्ति की आवश्यकता, स्पेशलाइजेशन सेवाओं की आपूर्ति अन्य जानकारी आदि दिये जा सकते है। अपनी आवश्यकतानुसार विज्ञापन दे कर लाभ उठाएँ।

1. फुल पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट —— रू. 2000.00
2. आधा पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट —— रू. 1100.00
3. एक चौथाई पेज (A4 size) ब्लेक एण्ड व्हाईट —— रू. 600.00

वर्ष: 17 | अंक: 23 | दिनांक: 10.12.2020

परिपत्र क्रमांक : 52

No. F.6/18/2019-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division

512, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 3rd July 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Prompt payment to suppliers including MSMEs: Charging of Interest on delayed payments in Government e-Marketplace (GeM)

Reference: This Department O.M. No. F.6/18/2019-PPD dated 23.01.2020.

Government has been repeatedly emphasizing the need for prompt payment to vendors specially the MSME vendors. The intent of the Government in this regard has been articulated under the Aatmanirbhar Bharat pronouncements. For procurements made under rule 149 of GFRs 2017, buyers are mandated to make payments within 10 calendar days after generation (including auto generation) of Consignee Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) in the GeM.

2. In order to promote greater discipline and timeliness in payment to vendors, it is decided that whenever a CRAC is auto generated or issued by a buyer and payment is not made 10 days thereafter, the buyer organization will be required to pay penal interest @ 1% per month for the dalayed payment beyond the prescribed timeline till the date of such payment. The charge of interest shall be prorated for the period of delay. [For example, if CRAC is generated on the 1st day of month and payment is made by the buyer organization on the 20th day of the month, interest for 10 days will be charged. The penal interest will be 10/30 multiplied by 1% i.e. 0.33%]. Month may be taken as 30 days in all cases.

3. The amount collected in this regard shall be deposited in an account maintained by GeM. This interest will not be paid to the vendor and will be kept by GeM in a separate account which will be used only for the education of sellers/buyers etc., or other purposes related to GeM or public procurement with the prior approval of Department of Expenditure. This shall not cover any other interest payable to vendors under any law or contractual obligations, which will be over and above the interest as charged above.

4. The above conditions will be applicable for all procurements made from 1st October, 2020.

5. This issues with the approval of Finance Minsiter.

(Kotluru Narayana Reddy)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel.: 24621305
Email: kn.reddy@gov.in

MPSSIO की ओर से संपादक **विपिन कुमार जैन** द्वारा **मोना इन्टरप्राईजेस, न्यू मार्केट, भोपाल** से मुद्रित, **विपिन कुमार जैन** द्वारा प्रकाशित तथा **ई–2/30, महावीर नगर, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016** में प्रकाशित Ph.: 0755–2467714, 4917785 email: mpssio@rediffmail.com, Website: www.mplus.co.in